

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 1982/वैशाख 10, 1904
NO. 138] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1982/VAISAKHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1982

अधिसूचना

सं० 126/82 सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 364(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का
52) का धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1)

की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1971 में :-

(क) नियम 3 के उप-नियम (i) के दूसरे परन्तुक के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(iii) जूट बैचन तेल पर जिसकी निर्यात किए जाने वाले साल अर्थात् जूट (जिसके अंतर्गत ब्रिम्पपहन जूट या मेस्टाफाइबर भी हैं) फ़ैब्रिक, सूत ट्विस्ट, टाइन लाने की डेरियों और रस्सियों के विनिर्माण में उपयोग किया गया है।”

(ख) अनुसूची में क्रम संख्यांक 25 और 26 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं०	साल का वर्णन
25	संश्लिष्ट और पूर्वयोजित फाइबर, टेक्सटाइल सूत, धागा, टाइन, डेरियाँ और रस्सियाँ।
26	टेक्सटाइल कपड़े और होजरी”

[फा०-सं० 609/234/81-डी०बी०के०]

जे०एस०आर०खानिंग, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th April, 1982

NOTIFICATION

NO. 126/82-CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, namely :—

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Second Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971,—

(a) in rule 3, in sub-rule (1), after clause (ii) of the second proviso, the following clause shall be inserted, namely :—

“(iii) on jute batching oil used in the manufacture of export goods, namely, jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) fabric, yarn, twist, twine, thread cords and ropes ;”

(b) in the Schedule, for Serial numbers 25 and 26 and the entries relating thereto, the following Serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

S. No.	Description of goods
“25	Synthetic and regenerated fibre, textile yarn, thread, twines, cords and ropes.
26	Textile fabrics, and hosiery.”

[F. No. 609/236/81-DBK]

J. S. R. KHATHING, Under Secy.

